न्यायालय सहायक कलक्टर (मु0) सीकर
पीठासीन अधिकारी, कुणाल राहड़, आर0ए0 एस0

पत्रावली संख्या : 108/2007/दावा

1– लालचन्द पुत्र भगवान सहाय
2– लक्ष्मी देवी पत्नी ओम प्रकाश
3– रामबाबू 1 पुत्रगण ओम प्रकाश
4– मोहित 1
समस्त जाति महाजन निवासीगण ग्राम पलसाना तहसील,दांतारामगढ़ जिला सीकर।

———वादीगण

बनाम

1– हरदेवा दत्तक पुत्र गणेशा जाति जांगिड़ ब्राहमण निवासी सीकर हाल ए–15/173 हरि ओम अपाटमेंन्ट नया वाडेज अहमदाबाद 13(गुजरात)
2– कैलाश पुत्र नारायण लाल जाति जांगिड़ निवासी ग्राम दूजोद तहसील व जिला सीकर।
3– सीतादेवी
4– गीता देवी
5– विमला देवी
6– पुष्पा देवी
पुत्रिया भगवान सहाय जाति महाजन निवासीगण पलसाना तहसील, दांतारामगढ़ जिला सीकर।
7– ममता देवी
8– रेखा देवी
9– शशीकला
10–अनुसूया
पुत्रिया ओम प्रकाश जाति महाजन निवासीगण पलसाना तहसील, दांतारामगढ़ जिला सीकर।
11– उप पंजीयक, पलसाना।
12– तहसीलदार, दांतारामगढ़।

———प्रतिवादीगण

दावा बाबत उद्घोषणा ,स्थाई निषेधाज्ञा तथा रिकार्ड संशोधन।

आवेदन बाबत दावा अबेट होने बाबत।

सहायक कलक्टर(मु.)सीकर

Scanned with CamScanner

उपस्थित–
1–श्री गणपत लाल चौधरी, अधिवक्ता वादीगण की ओर से ।
2–श्री महेन्द्र सिंह सुण्डा, अधिवक्ता, प्रतिवादी संख्या 02 की ओर से।

निर्णय

दिनांकः– 29.01.2025

पत्रावली वास्ते निर्णय आवेदन पत्र बाबत दावा अबेट होने पर पेश हुई। प्रार्थी/प्रतिवादी संख्या 02 कैलाश ने जरिये अधिवक्ता आवेदन पत्र बाबत दावा अबेट होने पेश कर निवेदन किया कि प्रकरण में प्रतिवादी संख्या 01 हरदेवाराम की मृत्यु सन् 2013 में हो चुकी हैं जिनके वारिसान को रिकार्ड पर लेन की कार्यवाही आज दिन तक वादीगण ने नही की हैं। इसलिए वादीगण का वाद अबेट होने के कारण खारिज फरमाया जावें।

प्रार्थी/वादी लालचन्द पुत्र भगवान सहाय जाति महाजन निवासी ग्राम पलसाना तहसील,दांतारामगढ़ जिला सीकर ने जरिये अधिवक्ता दिनांक 31.1.2023 को आवेदन कायम मुकाम अन्तर्गत आदेश 22 नियम 4 सी0पी0सी0 पेश कर निवेदन किया कि उनवानी वाद में प्रतिवादी संख्या 01 हरदेवा दत्तक पुत्र गणेश की मृत्यु हो चुकी हैं। मृतक हरदेवा के 1–राजेन्द्र पुत्र स्व0 हरदेवा 2– जितेन्द्र कुमार पुत्र हरदेवा समस्त जाति जांगिड़ ब्राहमण निवासी ए–15/173 हरिओम अपार्टमेन्ट नया वाडेजा अहमदाबाद–13(गुजरात) वारिसान हैं। प्रतिवादी संख्या 01 हरदेवा ग्राम पलसाना में न रहकर अहमदाबाद में परिवार सहित रहता था ओर उसकी वही पर मृत्यु हुई हैं। उसकी मृत्यु की जानकारी वादीगण को नही हो पाई है। विगत पेशी पर प्रतिवादी के वकील के द्वारा प्रतिवादी संख्या 01 की मृत्यु होने के सम्बन्ध में एक आवेदन पेश किया। इसकी इससे पूर्व वादी के वकील ने पूर्व में कोई सूचना नही दी। जब वादी अपने वकील से तारीख पेशी के बारे में पूछा गया तब वादी को प्रतिवादी संख्या 01 की मृत्यु की जानकारी हुई। तब अविलम्ब प्रतिवादी संख्या 01 के वारिसों की जानकारी कर यथाशीध्र माननीय न्यायायलय के समक्ष कायम मुकाम का आवेदन पेश किया जा रहा है। जानकारी में हुआ विलम्ब क्षमा किये जाने योग्य हैं। इस सम्बन्ध में आवेदन पत्र धारा 5 मियाद अधिनियम पेश किया जा रहा है। इस प्रकार कायम मुकाम का आवेदन स्वीकार किया जाकर प्रतिवादी संख्या 01 के वारिसान को रिकार्ड पर लिये जाने के आदेश फरमावें।

प्रार्थी/प्रतिवादी संख्या 02 के अधिवक्ता ने आवेदन पत्र कायम मुकाम अन्तर्गत आदेश 22 नियम 4 सी0पी0सी0 का जवाब पेश कर निवेदन किया कि प्रतिवादी संख्या 01 हरदेवा की मृत्यु सन् 2013 में हो चुकी हैं व वादी ने 10 साल का लम्बा समय बीत जाने के बाद उक्त आधारहीन आवेदन पत्र प्रस्तुत किया है जो मियाद बाहर होने से व वाद वादी अबेट हो जाने के

सहायक कलक्टर(मु.)सीकर

Scanned with CamScanner

बाद प्रस्तुत किया हैं जो खारिज किये जाने योग्य है। किसी भी पक्षकार की मृत्यु के 90 दिन बाद दावा अबेट हो जाता हैं जिसके अबेटमेन्ट हेतु अलग से आदेश पारित करने की भी आवश्यकता नही हैं व मौजूदा दावे में तो वादीगण ने अबेटमेन्ट निरस्त किये जाने हेतु आदेश 22 नियम 9 सी0पी0सी0 का भी आवेदन पत्र प्रस्तुत नही किया हैं। इसलिए प्रार्थी का प्रार्थना पत्र खारिज किये जाने योग्य है। ऐसीस्थिति में प्रार्थी का प्रार्थना पत्र खारिज किया जाकर वाद वादीगण अबेट किये जाने की आज्ञा फरमाई जावें।

प्रार्थी/प्रतिवादी संख्या 02 के अधिवक्ता ने आवेदन पत्र अन्तर्गत धारा 5 अवधि अधिनियम का जवाब पेश कर निवेदन किया कि प्रार्थना पत्र जिस तरह से तहरीर किया गया हैं गलत हैं व अस्वीकार है। प्रतिवादी संख्या 01 की मृत्यु की जानकारी वादी को प्रतिवादी संख्या 01 की मृत्यु के रोज से ही है व वैसे भी वादी की यह जिम्मेदारी हैं कि वह दावे में पक्षकारों की मृत्यु की जानकारी रखें। प्रतिवादी संख्या 2 ने न्यायालय हाजा में दिनांक 27.4.2022 को प्रतिवादी संख्या 01 की मृत्यु सन् 2013 में ही हो जाने व दावे को अबेट करने का आवेदन पेश किया था जिससे भी 9 माह बाद मौजूदा आवेदन पत्र प्रस्तुत किया हैं जो स्वीकार किये जाने योग्य नही हैं और ना ही वादी मियाद का फायदा लेने का अधिकारी हैं। इस प्रकार वादी द्वारा प्रस्तुत आवेदन पत्र अन्तर्गत धारा 5 अवधि अधिनियम मियाद बाहर होने से वादीगण का दावा खारिज किये जाने योग्य है।

प्रकरण में बहस उभय पक्ष सुनी गई।

हमने वकील उभय पक्ष की बहस पर मनन किया तथा पत्रावली का अवलोकन किया। प्रार्थी/प्रतिवादी संख्या 02 कैलाश ने दिनांक 27.4.2022 को आवेदन पत्र बाबत दावा अबेट होने पेश कर कथन किया कि प्रतिवादी संख्या 01 हरदेवाराम की मृत्यु सन् 2013 में हो चुकी है जिनके वारिसान को रिकार्ड पर लेने की कार्यवाही आज दिन तक वादीगण ने नही की हैं। इसलिए वादीगण का वाद अबेट होने के कारण खारिज होने योग्य हैं। आवेदन पत्र बाबत दावा अबेट होने का वकील वादीगण ने जवाब पेश नही किया तथा दिनांक 31.1.2023 को आवेदन पत्र कायम मुकाम अन्तर्गत आदेश 22 नियम 4 सी0पी0सी0 मय आवेदन पत्र अन्तर्गत धारा 05 मियाद अधिनियम पेश किया। जिसके अवलोकन से जाहिर हैं कि वकील वादीगण ने आवेदन पत्र बाबत दावा अबेट होने दिनांक 27.4.22 की जानकारी होने के पश्चात भी 09 माह के बाद आवेदन पत्र कायम मुकाम अन्तर्गत आदेश 22 नियम 4 सी0पी0सी0 मय आवेदन पत्र अन्तर्गत धारा 05 मियाद अधिनियम का आवेदन पत्र पेश किया हैं। वकील वादीगण ने अबेटमेन्ट निरस्त किये जाने हेतु भी कोई आवेदन पत्र

अपर कलक्टर (मु.) सीकर

Scanned with CamScanner

प्रस्तुत नही किया है। किसी पक्षकार की मृत्यु होने पर वादीगण की जिम्मेदारी हैं कि 90 दिवस की अवधि में आवेदन पत्र पेश करे लेकिन इस प्रकरण में वादीगण को दिनांक 27.4.2022 को जानकारी होने के पश्चात भी 09 माह की अवधि के बाद आवेदन पत्र अन्तर्गत आदेश 22 नियम 4 सी0पी0सी0 पेश किया हैं। प्रतिवादी संख्या 01 की मृत्यु सन् 2013 में ही हो चुकी थी। इस प्रकार वादीगण ने प्रतिवादी संख्या 01 हरदेवा की मृत्यु सन् 2013 में हो जाने के बाद 10 साल का लम्बा समय बीत जाने के बाद आवेदन पत्र प्रस्तुत किया गया हैं। जो आधारहीन हैं। इस प्रकार वादीगण का वाद अबेट किये जाने योग्य हैं। ऐसीस्थिति में प्रार्थी/प्रतिवादी संख्या 02 कैलाश का आवेदन पत्र बाबत दावा अबेट किये जाने न्यायहित में स्वीकार किये जाने योग्य हैं। अतः प्रार्थी/प्रतिवादी संख्या 02 कैलाश का आवेदन पत्र बाबत दावा अबेट किये जाने स्वीकार किया जाता हैं तथा वाद वादीगण अबेट किया जाता हैं। पत्रावली फैसल शुमार होकर बाद कार्यवाही दाखिल दफतर हो। निर्णय आज दिनांक 29.1.2025 को सरे इजलास सुनाया गया।

(कुणाल शहड़)
सहायक कलक्टर (मु0) सीकर

Scanned with CamScanner